ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-12* March-2021
Anthology : The Research

श्रमिकों के उन्नयन हेतु 'मनरेगा' की सार्थक भूमिका: एक आर्थिक विवेचन (छिन्दवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में)

Meaningful Role of 'MNREGA' for Upgradation of Workers: An Economic Analysis (With Special Reference to Chhindwara District)

Paper Submission: 01/03/2021, Date of Acceptance: 21/03/2021, Date of Publication: 24/03/2021

रोशनी इंगोले पोहकार
सहायक प्राध्यापक,
अर्थशास्त्र विभाग,
डेनियलसन डिग्री कॉलेज,
छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश, भारत

सारांश

सरकार द्वारा समय समय पर जनता के कल्याण के लिये नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है। सरकारी योजनायें लगभग सभी क्षेत्रों जैसे– शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि अन्य क्षेत्रों में बनती रहती है। ये सभी योजनायें अर्थव्यवस्था के विकास के लिये आवश्यक है। सभी विकासात्मक योजनाओं पर कार्य करना संभव नहीं है। अतः प्रस्तुत शोध पत्र में मनरेगा पर कार्य किया गया है। यह शोध कारोना संक्रमणकाल में छिन्दवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में कोरोना संक्रमण के दौरान जहाँ लोगों की रोजगार पर संकट मंडरा रहा था वही दूसरी ओर मनरेगा के तहत जिले में श्रमिकों के उन्नयन का अध्ययन किया गया है। इसके लिये जिला सांख्यिकी पुस्तिका, इंटरनेट तथा पत्र–पत्रिकाओं को आधार बनाया है और शोध प्रविधि के रूप में अंकेक्षण और अवलोकन को अपनाया गया है।

Policies, schemes and programs are formulated by the government from time to time for the welfare of the people. Government schemes continue to be made in almost all areas like education, health, economic, cultural, political etc. All these plans are necessary for the development of the economy. It is not possible to work on all developmental plans. Therefore, work has been done on MNREGA in the present research paper. This research has been done with special reference to Chhindwara district during the Corona transition period. In the present research paper, during the corona transition, where people's employment was facing crisis, on the other hand, under MNREGA, the upgradation of workers in the district has been studied. For this, district statistics booklet, internet and magazines have been made the basis and audit and observation have been adopted as a research method.

मुख्य शब्द : मनरेगा, महात्मा गांधी, पंचायत, रोजगार।
MNREGA, Mahatma Gandhi, Panchayat, Employment.

प्रस्तावना

कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के कारण रोजगार एवं आय की निर्भरता पूर्ण रूप से मौसम, वर्षा एवं उत्पादन पर निर्भर करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा रोजगार के अन्य अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अधिकांश किसान शून्य उत्पादकता के साथ कृषि कार्यों में संलग्न होने के कारण बेरोजगार रहते हैं। परिणाम ग्रामीण लोगों का सामाजिक–आर्थिक पिछड़ापन यथावत है। पिछले सात दशकों के नियोजन के दौरान गावों में रोजगार के नये अवसर जुटाकर गरीबी दूर करने के उद्देश्य से केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने समय–समय पर अनेक योजनायें और कार्यक्रम चलाये, किन्तु जनसंख्या वृद्धि व भ्रष्टाचार के कारण बेरोजगारी की समस्या कम नहीं हुई। पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा ग्रामीण जनता को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये विभिन्न प्रयास किये जा चुके हैं जिसके तहत अब तक रूरल मेनपॉवर (1960–61), क्रेश स्कीम फॉर रूरल इम्प्लाइमेन्ट, लघुकृषक विकास एजेंसी, सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक योजना आदि कार्यक्रम चलाये जा चुके हैं।

समय और जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये योजनाओं को परिमार्जित कर नये रूप में लागू किया गया। वर्ष 1977 में काम के बदले

अनाज योजना शुरू की गयी। 80 के दशक में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गांरटी कार्यक्रम आरंभ किये गये। जवाहर रोजगार योजना (1993–94), रोजगार आश्वासन योजना को मिलाकर वर्ष 1999–2000 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शुरू की गई। 2000–2001 में इस कार्यक्रम को सम्पूर्ण ''ग्रामीण रोजगार योजना'' तथा 2005 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। फरवरी 2006 को आन्ध्रप्रदेश के अनन्तपुर जिले से आंरभ की गई मनेरगा के प्राथमिक चरण में 200 पिछड़े जिलों को शामिल किया गया। इस योजना में मुख्यतः जल, जंगल व भूमि तथा जनकल्याण से जुड़े कार्य करने की अनुमति है। अप्रैल 2008 से देश के सभी 614 जिलों ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया। मनरेगा के प्राथमिक कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत वे पिछड़े जिले रहे है, जो सामाजिक–आर्थिक विकास के सूचकांक निम्न स्तरीय हैं तथा ऐसे जिले जो नक्सलवाद तथा माओवादी हिंसा के शिकार हैं। मनरेगा के तहत मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में बिना दक्षता वाले हाथों के कार्यों को शामिल किया गया है और स्वैच्छिक रूप से कार्य करने के इच्छुक लोगों को इस प्रकार के कार्य उपलब्ध कराये जाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कानून गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले हर ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर देता है।[2]

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र में कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों के रोजगार पर मंडरा रहे संकट और मनरेगा के तहत जिले में श्रमिकों के उन्नयन का अध्ययन किया गया है।

इन्दिरा आवास योजना (IAY)

इन्दिरा आवास योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका वित्त पोषण केन्द्र और राज्यो ं के बीच खर्च की भागीदारी 75:25 के अनुपात में की जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में पूरा निधिकरण केन्द्र द्वारा किया जाता है।

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम

मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों मे ंरोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि मे ं''मनरेगा'' भारत सरकार की महत्वपूर्ण 'फ्लेगशिप' योजनाओं मे ंसे एक है जिसका उद्देश्य उस प्रत्येक परिवार को, जिसके प्रौढ़ सदस्य स्वेच्छा से बिना कौशल का शारीरिक कार्य करना चाहते हैं, वित्तीय वर्ष मे ंकम से कम 100 दिवसों की गारण्टी युक्त मजदूरी प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों मे ंपरिवारों की एक तिहाई भागीदारी का भी अधिशेष देता है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य रोजगार को बढ़ाना है।[3]

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

यह मिशन जून 2011 मे ंआरम्भ किया गया। इस मिशन के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूहों को फेडरेशन के रूप मे ंगठित करके उनके माध्यम से लाभप्रद रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें बेहतर जीवनयापन का स्थायी आधार प्रदान करने की योजना है ।इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024–25 तक सभी ग्रामीण परिवारो ं को संगठित करके इस मिशन के अधीन लाकर लाभान्वित करना है।

स्टार्टअप इण्डिया कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का औपचारिक आरम्भ 16 जनवरी 2016 को किया गया। नये उद्यमियो ं को प्रोत्साहित करने वाले इस कार्यक्रम मे ंअनेक छूटे (आयकर कैपिटल गैन टैक्स आदि में) दे कर उद्यमियों को स्वरोजगार के लिये प्रेरित करने की योजना है।[4]

स्टैण्डअप इण्डिया कार्यक्रम

टनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिला उद्यमियों के हितार्थ यह योजना अप्रैल 2016 मे ं आरम्भ की गई। इस योजना मे ंप्रत्येक बैंक शाखा को अपने क्षेत्र मे ंकम से कम दो उद्यमी परियोजनओ के लिये लक्षित उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी (मनरेगा) का विस्तृत परिचय

मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना है, इससे पूर्व इस योजना को राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना (NAREGA) नरेगा के नाम से जाना जाता था। केन्द्र सरकार ने इस योजना की शुरूआत 2 अक्टूबर 2005 को की थी, इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत रखा गया था।[5] इस योजना को ग्रामीण लोगों की क्रयशक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 31 दिसम्बर 2009 को इस योजना का नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना कर दिया गया।

मनरेगा योजना के अंतर्गत कराये जाने वाले विभिन्न प्रमुख कार्य

इस योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्य कराये जाते है ंजिसमें से प्रमुख कार्य इस प्रकार है ं–

1. जल संरक्षण
2. बाढ़ नियंत्रण
3. भूमि विकास
4. विभिन्न तरह के आवास निर्माण
5. लघु सिंचाई
6. बागवानी
7. ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माण
8. सूखे की रोकथाम के अंतर्गत वृक्षारोपण
9. कोई भी ठोस कार्य जिसे केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से सलाह लेकर अधिसूचित करती है।

मनरेगा योजना से लाभ

1. मनरेगा योजना में ग्रामीण लोगों को अपने परिवेश में ही रोजगार प्राप्त हो जाता है, केन्द्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 100 कार्यदिवस के रोजगार की गारण्टी दी है।
2. इस योजना के अंतर्गत परिवार के व्यसक सदस्य के द्वारा आवेदन किया जाता है। आवेदन होने के 15 दिन के अंदर रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो सरकार के द्वारा उसे बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है, यह भत्ता पहले 30 दिन तक एक चौथाई होता है। 30 दिन के बाद यह न्यूनतम मजदूरी दर का पचास प्रतिशत प्रदान किया जाता है।[6]
3. इस योजना में मजदूरी का भुगतान बैंक, डाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है, आवश्यकता

पड़ने पर नगद भुगतान की व्यवस्था विशेष अनुमति लेकर की जा सकती है।

4. मनरेगा का व्यवस्थित संचालन रोजगार उपलब्ध करवाकर, गरीबी निवारण, ग्रामीण अधोसंरचनात्मक विकास, आय, शिक्षा, और आर्थिक विकास के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है।

छिन्दवाड़ा जिले के बारे में सामान्य जानकारी

छिन्दवाड़ा जिले का गठन 1 नवम्बर 1956 को किया गया था। यह विहंगम पहाड़ों की सतपुड़ा रेंज के दक्षिण–पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यह 21.28 से 22.49 डिग्री तक फैला है। उत्तर (रेखांश) और 78.40 से 79.24 डिग्री पूर्व (अक्षांश) और 11,815 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।7 यह जिला दक्षिण में नागपुर जिले (महाराष्ट्र राज्य में) के मैदानों, उत्तर पर होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिले, पश्चिम में बैतुल जिला और पूर्व में सिवनी जिले की सीमाओं से लगा हुआ है।

मूलभूत जानकारी

छिन्दवाड़ा जिला मध्यप्रदेश राज्य में क्षेत्रफल में प्रथम स्थान (11,815 वर्ग कि.मी.) पर है कि राज्य के क्षेत्रफल का 3.85 प्रतिशत है। जिला छिन्दवाड़ा को 13 तहसील (छिन्दवाड़ा, तामिया, परासिया, जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, चौरई, सौंसर, पांढूर्ना, बिछुआ, उमरेठ, मोहखेड़, चांद और हर्रई) में विभाजित किया गया है। 11 विकासखण्ड (छिन्दवाड़ा, परासिया, जुन्नारदेव, पांढुरना, अमरवाड़ा, चौरई, दमुआ और सौंसर) 9 नगर पंचायत (बिछआ, चांदामेटा, न्यूटन चिखली, हर्रई, मोहगांव, चांद, पिपला, नारायणपुर और बड़कुही) है।[8]

जिले में 1948 गांव हैं, जिनमें से 1903 गांवों Habitated स्थान है। जिले को 19 राजस्व मंडलों में विभाजित किया गया है एवं 803 पटवारी हटका। जिले में 784 पंचायतें हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार, जिले की कुल जनसंख्या 15,68,702 है। जिसमें से 76.90 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। अनुसूचित जाति की आबादी 1,91,419 है और अनुसूचित जनजाति की संख्या 5,40,708 हैं। जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर 133 है।[9] छिन्दवाड़ा जिले में 16 संसदीय क्षेत्र हैं और इसमें सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों (122 जामई, 123 अमरवाड़ा, 124 चौरई, 125 सौंसर, 126 छिन्दवाड़ा, 127 परासिया, 128 पांढुरना) केवल जिले की ही जनगणना 2011 के अनुसार हर 1000 पुरूषों के लिये 964 महिलायें हैं।

छिन्दवाड़ा जिले के अन्तर्गत श्रमिकों के उन्नयन में मनरेगा की सार्थक भूमिका

मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन एवं रोजगार उपलब्ध कराने में प्रदेश में छिन्दवाड़ा जिला मध्यप्रदेश में अग्रणी जिला हो गया है। कोरोना संक्रमण के दौरान जहां लोगों की रोजगारपर संकट मंडरा रहा है, वहीं दूसरी ओर मनरेगा के तहत जिले में बड़ी संख्या में मजदूर नियोजित हुये जिसके चलते मनरेगा के तहत काम दिलाने के मामले में छिन्दवाड़ा जिले का स्थान प्रदेश में प्रथम श्रेणी में रहा।[10]

जिले में 784 पंचायतों में कुल 1,19,063 मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिला वहीं अभी कुल 5634 काम मनरेगा के तहत चल रहे हैं। वहीं 51 जिलों में धार को दूसरा स्थान मिला है, यहां 761 पंचायतों में 115979 मजदूरों को काम मिला है। तीसरे स्थान पर मंडला और बड़वानी पांचवे स्थान पर रहा।

जिला पंचायत सीईओ रिपोर्ट के अनुसार

मनरेगा के तहत ड्राई बोल्डर वॉल मेढ बंधान, निस्तार तालाब, खेत तालाब, सड़क नहरों की सफाई जैसे काम करवाये गये। गजेन्द्र सिंह नागेश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में छिन्दवाड़ा जिले के निवासी जो बाहर काम कर रहे थे वे अपने घर लौटे, ऐसे सभी मजदूरों का प्राथमिकता के साथ पंजीकरण किया गया । इस प्रकार परिस्थितयों में लोगों को आय के साधन मिले। मनरेगा के तहत बड़ी संख्या में लोगों को काम के अवसर मिले, ये जिले के लिये बड़ी उपलब्धि है। छिन्दवाड़ा कलेक्टर रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि वे लगातार मनरेगा के काम की मानिटरिंग कर रहे हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत 90 करोड़ 54 लाख रूपये की राशि व्यय की गयी। इस राशि से 6968 कार्यों को पूरा भी किया गया उन्होंने बताया कि जिले में आज मनरेगा योजना के अंतर्गत 784 ग्राम पंचायतों में 131824 श्रमिकों को नियोजित कर रोजगार प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में नैनो आर्किड के अंतर्गत स्वसहायता समूह के हितग्राहियों के घर के समीप की भूमि पर फलदार पौधों का रोपण कर उनकी आजीविका को सशक्त बनाया जा रहा है।[11]

तहसील में श्रमिकों को मिले कार्य के आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण [12]

1. अमरवाड़ा – 9763
2. बिछुआ – 7930
3. चौरई – 8294
4. छिन्दवाड़ा – 8790
5. हर्रई – 10537
6. जामई – 2658
7. मोहखेड़ – 9651
8. पांढुरना – 9808
9. परासिया – 6758
10. सौंसर – 5557
11. तामिया – 15198
12. कुल – 119063
13. पंचायत – 784

वर्तमान में मनरेगा योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य

वर्तमान में प्रत्येक ग्राम पंचायत मे 15 हितग्राहियों का चयन कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। श्रमसिद्धि अभियान से 15986 व्यक्तियों एवं प्रवासी श्रमिकों को जॉब कार्ड जारी किये। जिला कलेक्टर रिपोर्ट अनुसार श्रमसिद्धी अभियान के तहत जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक जून से घर–घर जाकर सर्वे करके प्रत्येक पात्र व्यक्ति या श्रमिक को पात्रता के अनुसार मनरेगा का जॉब कार्ड बनाकर तत्काल प्रदान कर मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा रहा है।[13] इसी परिप्रेक्ष्य में अभी तक 15986 के जॉब कार्ड अद्यतन किये गये और 1802 नवीन जॉब कार्ड बनाकर

पात्र व्यक्तियों और प्रवासी श्रमिकों को दिये गये है।

उपलब्धियाँ

1. छिन्दवाड़ा जिले में मनरेगा के अन्तर्गत बड़ी संख्या में श्रमिकों का नियोजन हुआ, जिसके चलते रोजगार दिलाने में छिन्दवाड़ा प्रदेश में प्रथम स्थान में रहा। यह जिले के लिये गौरव का विषय है।
2. कोरोना संक्रमणकाल के दौरान जहां लोगों के रोजगार पर संकट मंडरा रहा है, वही दूसरी ओर मनरेगा के अंतर्गत बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हुआ।
3. छिन्दवाड़ा जिले में 784 पंचायतों में कुल 119063 श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार मिला वहीं अभी कुल 5634 काम मनरेगा के तहत चल रहे हैं।14
4. लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में छिन्दवाड़ा जिले के निवासी जो बाहर काम कर रहे थे, वे अपने घर लौटे ऐसे सभी मजदूरों का प्राथमिकता के साथ पंजीयन कराया गया। लगभग 25000 नये श्रमिकों का पंजीयन किया गया
5. जिससे विपरीत परिस्थितयों में श्रमिकों की आय में बढ़ोतरी हुई, एवं उनके सामाजिक जीवन स्तर में भी सुधार हुआ।

समस्यायें

1. कार्यस्थल पर समुचित सुविधा का अभाव होता है।
2. श्रमिकों के अशिक्षित होने से मजदूरी भुगतान में मध्यस्थों के द्वारा गड़बड़ी की जाती है।
3. मनरेगा में श्रमिकों को भुगतान बैंकों एवं डाकघरों के माध्यम से होता है। अतः श्रमिकों को बैंकों की औपचारिकतायें पूरी करने में कठिनाई होती है।
4. श्रमिकों को ग्रामीण सीमा के बाहर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।
5. श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ते का ज्ञान नहीं होता है।[15]
6. ठेकेदारों के द्वारा श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।

समाधान

1. कार्यस्थल पर समुचित सुविधा जैसे पेयजल, छप्पर, प्राथमिक चिकित्सा मुहैया करायी जानी चाहिये।
2. श्रमिकों को शिक्षित किया जाना चाहिये ताकि वे मेटों द्वारा की गई जालसाजी को जान सकें
3. श्रमिकों के खाते खुलवाने के लिये बैंकों एवं डाकघरों को ही खाते खुलवाने से संबधित औपचारिकतायें पूरी करनी चाहिये।
4. सरकार द्वारा किसी उच्च अधिकारी से सामाजिक अंकेक्षण का कार्य करवाना चाहिये ताकि भ्रष्टाचार एवं गबन जैसी विसंगति से बचा जा सके।[16]
5. श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता व शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जानकारी दी जानी चाहिये।
6. ठेकदारों द्वारा श्रमिकों पर दुर्व्यवहार किये जाने पर सरकार द्वारा उचित कार्यवाही की जानी चहिये।
7. जहां तक संभव हो सके श्रमिकों को ग्रामीण सीमा के 05 किलोमीटर के दायरे में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

सुझाव

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में श्रमिकों द्वारा रोजगार के लिये किये गये आवेदन की जांच करके ही जॉब कार्ड का वितरण किया जाना चाहिये।
2. सरकार द्वारा समय पर निधि का भुगतान किया जाना चाहिये जिससे मजदूरों को भुगतान करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
3. सरकार द्वारा ठेकेदारों की नियुक्ति पर रोक लगाना चाहिये जिससे ग्रामीण परिवार अधिकाधिक लाभान्वित हो सके।
4. ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षित कर के कुशल कार्यों में सम्मिलित करना चाहिये। जिससे प्रत्येक वर्ग के शिक्षित व अशिक्षित श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो सके।
5. योजना में कर्मचारियों की नियुक्ति स्थायी तौर पर होनी चाहिये जिससे कार्यों को विशिष्टिकरण होगा जिसका लाभ श्रमिकों व सरकार दोनों को प्राप्त होगा।
6. ऐसे कार्य जो मशीन की सहायता से किये जाते हैं उन कार्यों पर रोक लगानी चाहिये ताकि ग्रामीण परिवारों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके।
7. कार्यस्थल पर समुचित सुविधायें उपलब्ध करानी चाहिये।
8. मनरेगा के अंतर्गत किये गए कार्यों की गुणवत्ता बनाये जाने का प्रयास करना चाहिये।[17]

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना राज्य सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में से एक है जिससे ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हुआ है। इस योजना का ग्रामीण श्रमिकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। योजना के माध्यम से ही छिन्दवाड़ा जिले का ग्रामीण विकास हुआ है तथा मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन एवं रोजगार उपलब्ध कराने में छिन्दवाड़ा जिले का स्थान जिले में प्रथम रहा। कोरोना संक्रमणकाल जैसी विपरीत परिस्थितयों में

श्रमिकों को आय के साधन मिले। अंत में इस योजना के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि मनरेगा श्रमिकों की आत्मा है, श्रमिकों का जीवन है। मनरेगा शरीर में धमनी की भांति है जो श्रमिकों को जीवित रखती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *शर्मा, महेश, महात्मा गांधी नेरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2008.*
2. *"All India report on evaluation of NREGA" A Survey of Tewnty Districts Institute of Applied Man Power Research, DEHLI*
3. *Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act – 2005.*
4. *District Census Handbook, Census of India 2011.*
5. *Purohit, Ashok, Manrega and Rural Development.*
6. *फाड़िया, बी.एल. शोध पद्धतियां, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, उत्तरप्रदेश।*

7. जैन, डॉ. बी.एम. रिसर्च मैथोडोलॉजी, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर।
8. यादव, रामजी, भारत में ग्रामीण विकास।
9. Manrega, Sameeksha An Anthology of Research Studies on the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, 2006-2012.
10. महात्मा गांधी नेरेगा समीक्षा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005, पर शोध अध्ययनों का संकलन 2006-2012.
11. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विवरण पत्रिका।
12. आर्थिक सर्वेक्षण 2013&14
13. जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा
14. दैनिक भास्कर समाचार पत्र, नवभारत, पत्रिका, नई दुनिया।
15. साप्ताहिक समाचार पत्र – रोजगार और निर्माण, Employment News.
16. जिला सांख्यिकी पुस्तिका
17. Websites: WWW. MANREGA.MP.GOV.IN
18. WWW.NREGA.NIC.IN